

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2/2017 सरकार/ विनोद उर्फ कमाठो
धनारीगरी स्टाव

25/9/25 - पत्रावली पैका हुई। 10 सप्ताह वाजकार्य में कपल है। पत्रावली दिनांक 16/10/25 को पैका हो।

16/10/25 - पत्रावली पैका हुई। मकूर परेकर उपा/ गैर लयक के संख्या में धनारीगरी के रिपोर्ट काबल कपराधिक प्रकृति दिने अवसर पत्रावली दिनांक 19/11/25 को पैका हो।

19/12/25 - पत्रावली पैका हुई। मकूर परेकर उपा/ 10 सप्ताह वाजकार्य में कपल है। पत्रावली दिनांक 18/12/25 को पैका हो।

18/12/25 - पत्रावली पैका हुई। मकूर गैरलयक कनु/ कौक गैरलयक अनु/ पत्रावली का अपकेकर किया गया। पत्रावली गैरलयक के फिड न्यायालय अतिरिक्त लखनपुर (अहम) के असा दिनांक 8/01/2005 को अपका वाज अम्यसरत अपराधी अधिनियम 1953 के असा निर्णय परिल किया जा चुका है। प्रकृति परिशिष्ट देखन है। न्यायालय या यह मतना है कि गैरलयक विनोद उर्फ कमाठो के विरुद्ध जब इस अधिनियम की धारा 5.3 में निर्णय ले चुका है तो इस द्वारा पुनः निर्णय परिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। धनारीगरी स्टाव असा प्रस्तुत इस्तगावा अपका 5.3, वाज अम्यसरत अपराधी अधिनियम 1953 इती स्वर पर लारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय के प्रति धनारीगरी किराई मकूर मकूर का लखनपुर दफ्तर हो।



अति. जिला कलक्टर
जोधा